जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 12.09.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 01 वारण्टी नाम पता झीनक पुत्र श्यामबली निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

__गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-__ उ0नि0 श्री दशरथ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7670 द्वारा मारपीट में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 7670 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहनलालपुर से कालर द्वारा मारपीट में घायल 05 व्यक्तियों (1. सिद्धनाथ पुत्र अज्ञात 2. इन्द्रदेव पुत्र सिद्धनाथ 3.राजू पुत्र सिद्धनाथ 4. संतोष पुत्र इन्द्रेव 5. ज्ञानचंद पुत्र अज्ञात पता-मोहनलालपुर (निषाद टोला) थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 बसन्त चौहान, हो0चा0 अम्बरीश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनों से 89,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- ***थाना धनघटा पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की 03 सूचनाएं***
- ***कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना ।***
- ***झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एस0 पी0***

<u>*झूठी सूचनाओं का विवरण-*</u>

<u>*पहली सूचना-*</u> श्रीमती बच्ची देवी पत्नी सपन चौधरी निवासी कोचरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अपने घर में दिनांक 08/09.09.2025 को चोरी की घटना की सूचना दिनांक 09.08.2025 को लिखित रूप से थाना धनघटा पर दिया गया तथा अवगत कराया गया कि मेरे घर में रखे सोने व चांदी के जेवरात चोरी हो गये है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जयप्रकाश दूबे* द्वारा मय पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल निरीक्षण व शिकायतकर्ता व उनके परिवारीजन से पूछताछ करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी । जिसपर उक्त सभी लोगो से कढ़ाई से पूछताछ किया गया तो शिकायतकर्ता बच्ची देवी उपरोक्त द्वारा कुछ समय पता लगाने हेतु लिया गया । दिनाँक 10.09.2025 को शिकायतकर्ता बच्ची देवी व उनकी दोनो बहुओ द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि जो भी जेवरात चोरी हुआ था वह मेरे घर मे ही दूसरी जगह से मिल गया है । पूछताछ पर शिकायतकर्ता बच्ची देवी की बड़ी बहू अंजनी उपरोक्त ने स्वीकार किया कि मैने अपने सास के बक्से से सभी जेवरात व नगदी निकालकर लालचवश अपने पास घर में ही दूसरी जगह रख दिया था । जो मेरी सास को मिल गया। शिकायतकर्ता बच्ची देवी द्वारा सभी जेवरात व नकद रूपये थाना स्थानीय पर प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा लिखित रूप से कानूनी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध मे निवेदन किया गया । जिसके आधार पर दोषी बड़ी बहू अंजनी से लिखित माफीनामा लिया गया तथा शिकायतकर्ता बच्ची देवी को सम्पूर्ण जेवरात व 1000 रूपये वापस किया गया ।

<u>*दूसरी सूचना-*</u> श्री देवानन्द निषाद पुत्र श्रवण निषाद निवासी करवनियां थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि मैं विगत कई वर्षों से दिल्ली में अपने परिवार सहित रहकर काम करता हूँ । किराये पर रहने के कारण मैं अपनी पत्नी के जेवरात अपने घर मे रखी आलमारी के लाकर में रख दिया था । मैने दिनाँक 08.09.2025 को घर पर मौजूद अपनी सौतेली माँ की फोन करके बताया कि मेरी पत्नी के उपरोक्त जेवरात आलमारी के लाकर में है क्षेत्र में चोरी की घटनाएँ बहुत हो रही है, ध्यान देना तथा मै दिनाँक 10.09.2025 को घर आ रहा हूँ । जब मै घर पहुंचा तो आलमारी तथा उसके अंदर का लाक टूटा हुआ मिला तथा सभी जेवरात गायब मिले। तब मै दिनांक 11.09.2025 को पुलिस को लिखित सूचना दिया । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री जयप्रकाश दूबे*** द्वारा मय पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुँचकर पूछताछ से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता की माँ ने ही आलमारी का लाक तोड़कर अपने बहू के जेवरात सिकरीगंज मे सुनार की दुकान पर गिरवी रख दिया है तथा मेरे बेटे बहू को इसकी जानकारी न हो चोरी बात बता दी । घटना में चोरी गये उपरोक्त सभी जेवरात शिकायतकर्ता द्वारा सुनार की दुकान से प्राप्त कर थाना स्थानीय पर कोई कार्यवाही नही करने के सम्बन्ध मे शिकायतकर्ता द्वारा लिखित निवेदन किया गया तत्पश्चात शिकायतकर्ता को मय जेवरात उपरोक्त के वापस किया गया ।

<u>*तीसरी सूचना-*</u> श्रीमती सुशीला पत्नी रमेश राजभर निवासी चपरा पूर्वी टोला मरवटिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 11.09.2025 को थाना धनघटा पर लिखित सूचना दिया गया कि 10/11.09.2025 की रात मेरे घर के बक्से मे रखा सोने व चांदी के जेवरात व 5200 रूपये चोरी हो गया है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जयप्रकाश दूबे* द्वारा मय पुलिस बल के घटनास्थल पर पहुँचकर पूछताछ की गयी तो पूछताछ से घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी। दिनाँक 12.09.2025 को शिकायतकर्ता सुशीला पत्नी रमेश राजभर उपरोक्त थाना स्थानीय पर चोरी गये जेवरात व नकद उपरोक्त के साथ उपस्थित होकर लिखित रूप से निवेदन की कि मेरा सभी सामान घर में ही था, भूल से मै दूसरे बक्से में अपने जेवरात ढूढी और नहीं मिलने पर मैने चोरी की सूचना दे दी थी। मैं इस प्रकरण मे कोई कानूनी कार्यवाही नही चाहती हूँ। तत्पश्चात शिकायकर्ता को जेवरात व नकद उपरोक्त के साथ वापस किया गया।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.09.2025 को ***माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** के न्यायाधीश ***श्री भूपेन्द्र राय*** द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 0144/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गेश निषाद पुत्र लालू निषाद निवासी घुनघन कोठा थाना तिवारीपुर गोरखपुर को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह के कठोर कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप धोखाधड़ी व बिना योग्यता के चिकित्सीय कार्य करने के मामलें में 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.09.2025 को ***माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण- उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध बिना रजिस्ट्रेशन या बिना किसी प्रमाण-पत्र के एलोपैथिक दवाओं के व्यवसाय एवं बिना प्रमाण पत्र व बिना चिकित्सीय योग्यता के चिकित्सीय कार्य करते हुए पाये जाने का आरोप था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 102/2001 धारा 420 भादवि व 15(2), (3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लालधर पुत्र गम्हे निवासी चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 420 भादवि व 15(2), (3) (3) इण्डियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि व 3500रु0 अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।